न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर0ए0एस0

मि0न0 – 01/2025

अनवान : – –

1. काशीराम पुत्र ताराचंद जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :—श्री पूनमचंद वर्मा प्रार्थी
श्री विनोद शर्मा अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 10/2/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 736/415 के मु0 न0 202 के किला न0 8/3, 9/5, 12/7, 13/3 कुल 0.1160है0 बारानी खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज है व रोही भिरानी के खाता सं0 415/431 के मु0 न0 43 के किला न06/1, 7/1, 8/1, 9/1, 12/2, 1322, 14/2, 15/2, 22, 23, 24/2 व मु0 न0 202 के किला न0 9/6, 10/3, 12/6 कुल रकबा 1.4730है0 बारानी खातेदारी अप्रार्थी राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए अप्रार्थी की खातेदारी के खाता सं0 415/431 के मु0न0 202 के किला न0 9/6 की 0.0200है0 में से 0.012है0 उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला न0 10/3 की 0.014है0 पूर्व से पश्चिम इस प्रकार कुल 0.026है0 रास्ता का उपयोग करता है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उपरोक्त किला में प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थना पत्र की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए अप्रार्थी की खातेदारी के खाता सं0 415/431 के मु0न0 202 के किला न0 9/6 की 0.0200है0 में से 0.012है0 उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला न0 10/3 की 0.014है0 पूर्व से पश्चिम इस प्रकार कुल 0.026है0 रास्ता का उपयोग करता है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए पक्षकारान ने रास्ता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:42:24 IST
Reason: SelfAttested

एवज में भूमि के बदले अप्रार्थी ने भूमि का लेन देन खाता विभाजन के साथ लेना स्वीकार किया है । इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए अप्रार्थी की खातेदारी के खाता सं0 415/431 के मु0न0 202 के किला न0 9/6 की 0.0200है0 में से 0.012है0 उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला न0 10/3 की 0.014है0 पूर्व से पश्चिम इस प्रकार कुल 0.026है0 रास्ता का उपयोग करता है उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया है जिसके के प्रतिफल में अप्रार्थी ने भूमि का लेन देन खाता विभाजन के साथ लेना स्वीकार किया है इस प्रकार प्रार्थी के आवागमन तथा नियमित उपयोग–उपभोग की दृष्टि से प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा [illegible] खाता सं0 415/431 के मु0न0 202 के किला न0 9/6 की 0.0200है0 में से 0.012है0 उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला न0 10/3 की 0.014है0 पूर्व से पश्चिम इस प्रकार कुल 0.026है0 रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें।

निर्णय आज दिनांक 12/2/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:42:24 IST
Reason: SelfAttested